दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 21 अगस्त, 2024

रि.या.(सि) 11519/2024, सि.वि.आ. 47797/2024

गौतम मल्होत्रा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयान कृष्णन सहित श्री करण बतुरा, श्री जयंत चावला, सुश्री मनीषा धीर, श्री सुकृत सेठ, श्री शंभू और श्री ऋषभ, अधिवक्तागण।

बनाम

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सिद्धार्थ बरुआ और श्री आकाश मोहन श्रीवास्तव, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा

<u>न्या. धर्मेश शर्मा (मौखिक)</u>

<u>सि.वि. आ. 47798/2024 - (राहत)</u>

1. अनुज्ञात, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>रि.या. (सि.) 11519/2024, सि.वि. आ. 47797/2024</u>

3. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का अवलंब ले रहा है और प्रत्यर्थी द्वारा पारित दिनांक 26.07.2024 (*05.08.2024 को हस्ताक्षरित*) के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खाते को "धोखाधड़ी वाला" घोषित किया गया है।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम सूचना पर उपस्थित हैं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयान कृष्णन ने आग्रह किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 06.02.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस ["**एससीएन**"] प्राप्त होने पर, दिनांक 22.02.2024 को एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वह इस बात को सामने लाया कि वह जांच अवधि अर्थात् 2014-15 और 2015-16 के दौरान मेटालिस्ट फोर्जिंग्स लिमिटेड (एमएफएल) कंपनी का मात्र एक गैर-कार्यकारी निदेशक था। यह बताया गया कि कंपनी दिनांक 15.12.2017 से सीआईआरपी कार्यवाही में चली गई और परिणामस्वरूप निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया गया और कंपनी को आईआरपी/आरपी द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.02.2024 के उत्तर के माध्यम से 14 दस्तावेजों की मांग की, जो उक्त उत्तर के पैराग्राफ (14) में दर्शाए गए हैं।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि, यद्यपि प्रत्यर्थी से दिनांक 06.03.2024 को उत्तर प्राप्त हुआ था, परंतु कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उत्तर गूढ़ था, जिसमें कहा गया था कि

'मांगे गए दस्तावेजों पर बैंक ने खाते की धोखाधड़ी के रूप में परीक्षण करने के लिए निर्भरता व्यक्त नहीं की है', और इसलिए, उन्हें साझा नहीं किया जा सकता। यह आग्रह किया गया कि एससीएन जारी करते समय प्रत्यर्थी द्वारा वास्तव में उपरोक्त दस्तावेजों पर निर्भरता व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक और एक अन्य कंसोर्टियम बैंक के कहने पर एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी (एसपीसी) द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के केवल अंश ही उपलब्ध कराए गए थे।

7. यह भी बताया गया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कहने पर के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी (पूर्व में केजी सोमानी एंड कंपनी) को चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में नियुक्त करके प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन/पुनः परीक्षण किया गया था, जो अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 49 पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्हें 'किसी ऐसे लेन-देन या निरीक्षण के क्षेत्र का सामना नहीं करना पड़ा, जो किसी भी भौतिक या तथ्यात्मक धोखाधड़ी, धन के अपयोजन या गबन की ओर ले जाता हो।' इस मामले में **भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजेश अग्रवाल** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की जाती है।

8. *इसके विपरीत*, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि याचिकाकर्ता कोई और नहीं किंतु मास्टरमाइंड श्री अरविंद धाम का सगा भतीजा/भांजा है, जो कई वित्तीय अनियमितताओं में शामिल था। उसने **जसकरन**

सिंह चावला बनाम यूओआई के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय को इंगित करते हुए बताया कि प्रश्नगत कंपनी मैसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है। उच्चतम न्यायालय ने प्रथम दृष्टया नकली निदेशकों की नियुक्ति, 500 से अधिक कंपनियों का जाल बनाने, बहीखातों में दुर्व्यपदेशनों और सबसे महत्वपूर्ण बात, विभिन्न तरीकों से संबंधित और नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से ऋणों के अपवर्जन और गबन करने के साक्ष्य पाए।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे आग्रह किया कि याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 22.02.2024 के उत्तर में ऐसे दस्तावेज़ मांगे हैं जो न तो प्रासंगिक थे और न ही बैंक ने दिनांक 06.02.2024 को एससीएन जारी करते समय उन पर निर्भरता व्यक्त की थी। यह कहा गया कि बैंक हमेशा फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की पूरी प्रति साझा करने के लिए तैयार और इच्छुक था और इस मामले की सूचना पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक को दे दी गई थी।

10. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, यद्यपि प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अभिवाक् में गुणागुण है कि याचिकाकर्ता के सभी प्रकार के दस्तावेजों की फिशिंग जांच करने को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, सिवाय उन दस्तावेजों की प्रतियां मांगने और उनका परीक्षण करने के, जिन पर बैंक ने आक्षेपित आदेश पारित करने में निर्भरता व्यक्त की है।

11. दिनांक 26.07.2024 के आक्षेपित आदेश का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर पता चलता है कि याचिकाकर्ता की आपराधिकता के विषय में कोई

विशेष कारण सामने नहीं आए हैं, और उसके विरुद्ध निर्णय मुख्य रूप से उचित उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण लिया गया था। यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 18.07.20204 के पत्र के माध्यम से सुनवाई का अवसर मांगने के बावजूद, उसे ऐसा अवसर नहीं दिया गया है।

12. इस प्रकार, उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित दिनांक 26.07.2024 के आक्षेपित आदेश को विधि में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। साथ ही, वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथित दोषों की जांच की पूरी प्रक्रिया और **अतुल कुमार जैन बनाम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निपटान निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

(i) दिनांक 06.02.2024 का एससीएन बरकरार रहेगा, यद्यपि, प्रत्यर्थी/आईडीबीआई बैंक लिमिटेड यथास्थिति बनाए रखेगा और याचिकाकर्ता के खाते को "धोखाधड़ी" के रूप में घोषित या वर्गीकृत नहीं करेगा;

(ii) इस बीच, याचिकाकर्ता को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, 9वीं मंजिल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक प्रासंगिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाएगा, साथ ही दिनांक 05.09.2024 और 06.09.2024 को सुश्री कावेरी कृष्णमूर्ति,

डीजीएम, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (मोबाइल नंबर 9820252268) से मिलने और यदि आवश्यक हो तो दिनांक 09.09.2024 को मिलने का अवसर दिया जाएगा;

(iii) याचिकाकर्ता अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी वित्तीय विशेषज्ञ के साथ आ सकता है, जिन्हें फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी, यदि वांछित हो तो याचिकाकर्ता के खर्चे पर उपलब्ध कराई जाएंगी;

(iv) ऐसी जांच करने पर, याचिकाकर्ता 10 दिनों की अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक 24.09.2024 को या उससे पहले एससीएन पर अपना उत्तर दायर करेगा;

(v) प्रत्यर्थी/आईडीबीआई बैंक लिमिटेड याचिकाकर्ता को किसी भी कार्य दिवस पर सुनवाई का अवसर दे सकता है, और उसके बाद एससीएन का उत्तर दायर करने के 21 दिनों के भीतर विधि के अनुसार निर्णय ले सकता है।

13. वर्तमान रिट याचिका तथा लंबित आवेदन का तदनुसार निपटान किया जाता है।

न्या. धर्मेश शर्मा

21 अगस्त, 2024
सादिक़

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*